



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1252-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-8(8)-के/2018

दिनांक 07 जून, 2018

प्रबन्ध निदेशक,

स्पीड-पोस्ट

पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

मध्याञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।

दक्षिणाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

पश्चिमाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

केसको, कानपुर।

**विषय : मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०), पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी द्वारा मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज (प्रो० डी०एस० मिश्रा) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०), पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं०-658/मु०अ०जा०क्षे०(वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज दि० 26.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०), पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी ने मे० सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच०, 8/4-15ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी के (प्रो० डी०एस० मिश्रा) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० श्रीवास्तव)

उप सचिव (कार्य)

संख्या-1252-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०), पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युतनगर, पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी को उनके पत्र सं०-658/मु०अ०जा०क्षे०(वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज दि० 26.04.2018 के सन्दर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता, (कम्प्यूटराइजेशन), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

(आर०के० श्रीवास्तव)

उप सचिव (कार्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमांचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉंग-793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 घुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गौधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता- 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाय ऑफ डिविजन) जीवन तारंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर0के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)



CIN-U31200UP2003SGC027461

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता

जानपद क्षेत्र (वि०)

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

विद्युतनगर, पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू०

वाराणसी

3(8) का 18  
Email:ccdpuvvn@gmail.com

Mob-9450955000

पत्रांक: /मु०अ०जा०क्ष० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज, दिनांक /2018

कार्यालय ज्ञापन

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक: 02/वि०जा०ख० (वि०)/वा०/दिनांक 19.04.2018 के द्वारा मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज, एस०एच. 8/4-15ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी (प्र० श्री डी०एस० मिश्रा) से व्यापार निषिद्ध करने हेतु प्रेषित आख्या पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि०), वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या-113/वि०जा०म० (वि०)/वा०, दिनांक 21.04.2018 द्वारा संस्तुति की गयी है, आख्या निम्नवत् है:-

- (1)- मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज, एस०एच. 8/4-15ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी (प्र० श्री डी०एस० मिश्रा) विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के अधीन वितरण कार्यालय एवं कलेक्शन सेन्टर, भेलूपुर, वाराणसी का कार्य अनुबन्ध संख्या-39/2016-17 के तहत कराया गया है, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19.09.2016 एवम् कार्य पूर्ण करने की तिथि 18.01.2017 निर्धारित थी एवम् कार्य की अनुबन्धित लागत रू० 13,28,000.00 थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, अधिशाली अभियन्ता एवम् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की तिथि से लगभग 09 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी तरह आधा अधूरा कार्य ही पूर्ण किया गया। तत्पश्चात उक्त फर्म द्वारा छोड़े गये कार्यों को DEBIATABLE एजेन्सी के रूम में मेसर्स सत्यम कन्सट्रक्शन, छित्तूपुर, जिला-वाराणसी से पूरा कराया गया।
- (2)- मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी द्वारा अनुबन्ध संख्या-04/2017-18 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक कार्यालय में फर्नीचर की आपूर्ति का कार्य कराया गया। छः माह के सुरक्षा अवधि में ही आपूर्ति की गयी कई फर्नीचर में डिफेक्ट आ गए। उक्त कमियों को दूर करने हेतु संबंधित फर्म को कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से निर्देशित किया गया। परन्तु फर्म द्वारा उक्त कमियों को दूर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गयी। फलस्वरूप उक्त कमियों को मार्केट से DEBIATABLE एजेन्सी के रूप में मेसर्स सिंह इंटरप्राइजेज, सुन्दरपुर, वाराणसी के द्वारा दूर कराया गया।
- (3)- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के कार्यालय से प्राप्त पूर्व अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी द्वारा 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र करियाँव, जिला-सन्तरविदासनगर (भदोही) में आवंटित उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को समय से पूर्ण न करने के कारण तत्कालीन अधिशाली अभियन्ता द्वारा ठेकेदार की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए बिलम्ब की धनराशि की वसूली समयवृद्धि मद में काटी गयी धनराशि से कर लिया गया था।
- (4)- विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि मेसर्स सूर्या इंटरप्राइजेज के प्र० श्री डी०एस० मिश्रा द्वारा तत्कालीन अधिशाली अभियन्ता के साथ दुर्व्यवहार करने, जानपदीय कार्यों में व्यवधान डालने के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की झूठी शिकायत करके परेशान करने की वजह से मा० न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पारित आदेश रिट संख्या-सी० एन० 68379-2013 के द्वारा बिना

3214

अस० I

4/1/18

मि. म-14  
2  
9/5/18  
1245

सं०.../अपर सचिव-इलाहाबाद द्वारा अपने पारित आदेश रिट संख्या-सी० एन० 68379-2013 के द्वारा बिना  
सं० सचिव (सं० प्र०)/कार्य ज० सं० एवं प्र० सं०/सं० कार्य विनिर्देश एवं विनिर्देश/पी०एस०  
अपर सचिव (सं० प्र०)

Rot  
9-5-18

सं० 384 सं० (सं० प्र०)/कार्य ज० सं० एवं प्र० सं०/सं० कार्य विनिर्देश एवं विनिर्देश/पी०एस०

क्रमशः पेज 2/-

35 शनि (जा०)

(2)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) के अनुमति के प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी कार्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित किया गया था। साथ ही साथ तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज को निगम स्तर पर काली सूची में डालने हेतु अपने पत्र संख्या-42/वि०जा०ख० (वि०)/शिकायत/कैम्प, दिनांक 22.03.2014 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) को संस्तुति भी की गयी थी।

उपरोक्त प्रेषित आख्या से स्पष्ट हो रहा है कि मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी द्वारा पूर्व में आवंटित कार्यों को करने में कोई रुचि नहीं रही है एवम् कार्य न करके झूठा एवम् अनावश्यक रूप से पत्राचार करके निगम का समय बर्बाद किया जाता रहा है। साथ ही विभिन्न स्तरों पर झूठी शिकायत करके अधिकारियों को परेशान किया जाता रहा है।

अतः मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी के प्रो० श्री डी०एस० मिश्रा को निगम कार्य हित के दृष्टिगत रखते हुए एतद्वारा 05 (पाँच) वर्ष तक व्यापार निषिद्ध करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(के०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

पत्रांक: /मु०अ०जा०क्ष० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(के०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

पत्रांक: 658 /मु०अ०जा०क्ष० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज/तददिनांक 26-04-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल एवं केरको।
- (3) निदेशक (तकनीकी/वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
- (5) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०) वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं पोल इकाई वाराणसी।
- (6) मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी।

(के०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

क्रमशः पेज 3/-

पत्रांक: /मु0अ0जा0क्षे0 (वि0)/वा0/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज/तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी।
  - (2) जिलाधिकारी, वाराणसी।
  - (3) कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
  - (4) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
  - (5) कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
  - (6) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
  - (7) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
  - (8) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण भवन, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
  - (9) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई भवन, सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
  - (10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
  - (11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
  - (12) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
  - (13) संस्थान कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
  - (14) उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
  - (15) उ0प्र0 हाइसिंग एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड, लखनऊ।
  - (16) उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
  - (17) जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी।
  - (18) महाप्रबन्धक, डीजल रेल कारखाना, वाराणसी।
  - (19) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड-प्रथम/द्वितीय, वाराणसी।

(के0एम0 राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0)